दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम.

नरेंद्र कुमार जैन और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील No.3340) 04 मई, 2023

/

[एम**.** आर**.** शाह और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 -धारा 24 (2)-उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रश्न भूमि यू/एस के अधीन समाप्त हो गई है।24(2) 2013 के अधिनियम का-यह एल. ए. सी. की ओर से मामला था कि भूमि का कब्जा ले लिया गया था और मूल रिट याचिकाकर्ता अभिलिखित मालिक नहीं हैं, वे बाद के खरीदार थे-हालांकि, उच्च न्यायालय ने भरोसा करते हुए रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया

/

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम मानव धर्म ट्रस्ट के मामले में -

/

अपील की गई:मानव धर्म ट्रस्ट के मामले में निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए एक अच्छा विधि नहीं माना गया था।

शिव कुमार और अन्र में न्यायालय । V. भारत संघ और अन्य और दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स (I) लिमिटेड और अन्य-दोनों में

उक्त मामलों में, यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि बाद के खरीदार के पास अधिग्रहण को चुनौती देने और/या अधिग्रहण की मानित चूक के लिए भुगतान करने का कोई अधिकार नहीं है-उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है।

/

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम मानव धर्म ट्रस्ट **(2017) 6**

एससीसी **751:[2017] 4** एस**.** सी**.** आर**. 232-**संदर्भित।

शिव कुमार और अन्र वी.भारत संघ और अन्य। **(2019) 10** एस. सी. सी. **229;** दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम गॉडफ्रे

/

फिलिप्स (आई) लिमिटेड और अन्य। सिविल अपील सं. 3073/2022-पर भरोसा किया गया।

संदर्भित निर्णय

/

[2017] 4 एससीआर **232**

संदर्भित

पैरा **2**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील No.3340।

2015 के डब्ल्यूपी (सी) No.9745 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.07.2018 के निर्णय और आदेश से।

/

870

871

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम नरेंद्र कुमार जैन ए

/

सुश्री मनिका त्रिपाठी, आशुतोष कौशिक, मनीष वशिष्ठ, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

/

1. 2015 की लिखित याचिका (सी) संख्या 9745 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया है और घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की

धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह प्रतीत होता है कि और यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष एल. ए. सी. की ओर से दायर काउंटर से भी, यह एल. ए. सी. की ओर से मामला था कि प्रश्न भूमि का कब्जा 12.07.2004 पर ले लिया गया था। एल. ए. सी. की ओर से यह भी मामला था कि मूल रिट याचिकाकर्ता-यहाँ उत्तरदाता दर्ज किए गए मालिक नहीं हैं और वे बाद के खरीदार हैं।हालाँकि, इसके बाद, इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

/

/

एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम. मानव धर्म ट्रस्ट

(2017) 6 एस. सी. सी. 751, उच्च न्यायालय ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया है कि रिट याचिकाकर्ताओं को बाद के खरीदार होने के नाते अधिग्रहण को चुनौती देने और/या अधिग्रहण की मानित चूक के लिए प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है, इसके बाद, इस आधार पर कि मुआवजे का भुगतान/निविदा नहीं दी गई है, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया है।

/

3. हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस निर्णय का

मानव धर्म ट्रस्ट (ऊपर) के मामले में न्यायालय जो

आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया जाना, इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए एक अच्छा विधि नहीं माना जाता है।

/

शिव कुमार और अन्र का मामला। बनाम भारत संघ और अन्य। (2019)

10 एस**.** सी**.** सी**. 229** और दिल्ली के मामले में इस न्यायालय का बाद का निर्णय

विकास प्राधिकरण बनाम। गॉडफ्रे फिलिप्स **(**आई**)** लिमिटेड और अन्य। सिविल अपील सं**. 3073/2022**।

/

4. शिव कुमार (ऊपर) और गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) के मामले में

लिमिटेड (ऊपर), यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि बाद के खरीदार को अधिग्रहण को चुनौती देने और/या अधिग्रहण की मानित चूक के लिए प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है।

5. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।तदनुसार अपील की अनुज्ञात है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः अभिषेक अग्निहोत्री, एलसीआरए)

/

/

/

/

/